राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
बाबूलाल बनाम सुनीता देवी

तारीख हुक्म	1934/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/12/2025 को पेश हो।	
23/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/10/2025 पारित करते हुए तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी को ग्राम भट्टो की गली, पटवार हल्का भट्टो की गली, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र जाहोता, तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 310 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियम 18 से 21 (राजस्व मण्डल अजमेर) की पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उभयपक्षकारान की मौजूदगी में स्वयं मौके पर उपस्थित होकर कब्जेकाश्त को मध्यनजर रखते हुये पहुंच मार्ग/रास्ता प्रदान करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सहखातेदार के मध्य विभाजन हेतु प्रस्तुत विचाराधीन वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी को विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार राजस्थान टिनेसी एक्ट के नियम 18 से 21 (राजस्व मण्डल अजमेर) की पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उभयपक्षकारान की मौजूदगी में स्वयं मौके पर उपस्थित होकर कब्जेकाश्त को मध्यनजर रखते हुये पहुंच मार्ग/रास्ता प्रदान करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। विधि अनुसार एवं खातेदारान के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां हैं, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर लम्बित अथवा	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बाबूलाल बनाम सुनीता देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	देरीना किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/10/2025 को यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर